कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 24/2020-21/

दिनांक : /03/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद - शिवालिक नगर,

जनपद – हरिद्वार।

विषय : नगर पालिका परिषद- शिवालिक नगर, जनपद- हरिद्वार के 02/2014 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **04** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **07** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 24 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 24/2020-21/ दिनांक: /03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिव, शहरी विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।
3- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्याः 24/2020-21</u>

निरीक्षण आख्या **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- **परिचयात्मकः-** इकाई की प्रथम महालेखाकार, लेखापरीक्षा।

1. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **8.5 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **32500**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **13**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **05 बैठकें**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **01-नियमित एवं 14 आउटसोर्से**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **कार्यालय भवन**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर

वार्षिक आय-व्यय विवरण

2014-15 धनराशि ₹ में

ØŒ la Œ	;kstuk@en dk uke	iwoZ o"kZ dk vo'ks"k	o"kZ ds nkSjku izkfIr;k a	dqy ;ksx	o"kZ ds nkSjku O;;	vfUre vo'ks"k
1	jkT; foRr vk;ksx	0	0	0	0	0
2	14oka foÙk vk;ksx	0	0	0	0	0
3	LoPN Hkkjr fe'ku	0	0	0	0	0
4	iz/kkuea=h vkokl ;kstuk	0	0	0	0	0
5	voLFkkiuk fodkl fuf/k	0	450000	450000	450000	0
6	ikfydk fuf/k	0	379260	379260	89213	290047
	योग	0	829260	829260	539213	290047

2015-16

ØŒ la Œ	;kstuk@en dk uke	iwoZ o"kZ dk vo'ks"k	o"kZ ds nkSjku izkfIr;k a	dqy ;ksx	o"kZ ds nkSjku O;;	vfUre vo'ks"k
1	jkT; foRr vk;ksx	0	0	0	0	0
2	14oka foÙk vk;ksx	0	0	0	0	0
3	LoPN Hkkjr fe'ku	0	45000	45000	0	45000
4	iz/kkuea=h vkokl ;kstuk	0	0	0	0	0

5	voLFkkiuk fodkl fuf/k	0	4460000	4460000	1962519	2497481
6	ikfydk fuf/k	290047	401746	691793	401746	290047
	योग	290047	4906746	5196793	2364265	2832528

2016-17

ØŒ la Œ	;kstuk@en dk uke	iwoZ o"kZ dk vo'ks"k	o"kZ ds nkSjku izkfIr;k a	dqy ;ksx	o"kZ ds nkSjku O;;	vfUre vo'ks"k
1	jkT; foRr vk;ksx	0	0	0	0	0
2	14oka foÙk vk;ksx	0	317000	317000	249766	67234
3	LoPN Hkkjr fe'ku	45000	90000	135000	0	135000
4	iz/kkuea=h vkokl ;kstuk	0	0	0	0	0
5	voLFkkiuk fodkl fuf/k	2497481	0	2497481	2447698	49783
6	ikfydk fuf/k	290047	4334703	4624750	69413	4555337
7	Kanwad mela	0	180000	180000	180000	0
8	Fogging Machine Purchase from DM	0	75000	75000	73218	1782
	योग	**2832528**	**4996703**	7829231	**3020095**	4809136

2017-18

ØŒ la Œ	;kstuk@en dk uke	iwoZ o"kZ dk	o"kZ ds nkSjku izkfIr;k	dqy ;ksx	o"kZ ds nkSjku	vfUre vo'ks"k

		vo’ks”k	a		O;;	
1	jkT; foRr vk;ksx	0	12500000	12500000	11978016	521984
2	14oka foÙk vk;ksx	67234	15166000	15233234	1033232	14200002
3	LoPN Hkkjr fe’ku	135000	80000	215000	134685	80315
4	iz/kkuea=h vkokl ;kstuk	0	0	0	0	0
5	voLFkkiuk fodkl fuf/k	49783	11075000	11124783	626783	10498000
6	ikfydk fuf/k	4555337	359460	4914797	3759403	1155394
7	Kanwad mela	0	0	0	0	0
8	Fogging Machine Purchase from DM	1782	0	1782	0	1782
	योग	**4809136**	**39180460**	**43989596**	**17532119**	**26457477**

2018-19

ØŒ laŒ	;kstuk@en dk uke	iwoZ o”kZ dk vo’ks”k	o”kZ ds nkSjku izkfIr;k a	dqy ;ksx	o”kZ ds nkSjku O;;	vfUre vo’ks”k
1	jkT; foRr vk;ksx	521984	7500000	8021984	7831154	190830
2	14oka foÙk vk;ksx	14200002	29387000	43587002	34398131	8910972
3	LoPN Hkkjr fe’ku	80315	50000	130315	0	130315
4	iz/kkuea=h vkokl ;kstuk	0	100000	100000	0	100000
5	voLFkkiuk fodkl fuf/k	10498000	8326000	18824000	6318322	12505678
6	ikfydk fuf/k	1155394	1167382	2322776	69413	2253363
7	Kanwad mela	0	90000	90000	90000	0

8	Fogging Machine Purchase from DM	1782	0	1782	0	1782
9	SCP	0	3805000	3805000	1642818	2162182
	योग	**26457477**	**50425382**	**76882859**	**50349838**	**26255122**

2019-20

ØŒ la Œ	;kstuk@en dk uke	iwoZ o"kZ dk vo'ks"k	o"kZ ds nkSjku izkfIr;ka	dqy ;ksx	o"kZ ds nkSjku O;;	vfUre vo'ks"k
1	jkT; foRr vk;ksx	190830	7500000	7690830	7669873	20957
2	14oka foÙk vk;ksx	8910972	28718000	37628972	30282727	7346245
3	LoPN Hkkjr fe'ku	130315	1724000	1854315	1349559	504756
4	iz/kkuea=h vkokl ;kstuk	100000	0	100000	0	100000
5	voLFkkiuk fodkl fuf/k	12505678	8174000	20679678	5345816	15333862
6	ikfydk fuf/k	2253363	1628165	3881528	1584628	2296900
7	Kanwad mela	0	0	0	0	0
8	Fogging Machine Purchase from DM	1782	0	1782	0	1782
9	SCP	3805000	998000	4803000	2519212	2283788
10	MPLAD	0	1195975	1195975	0	1195975
11	NULM	0	30000	30000	299	29701
	योग	**27897940**	**49968140**	**77866080**	**48752114**	**29113966**

नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर
केंद्र पुरोधानित योजनाओं का वार्षिक आय-व्यय विवरण

2014-15 **धनराशि ₹ में**

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	14वां वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0

2015-16

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	14वां वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	स्वच्छ भारत मिशन	0	45000	45000	0	45000
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
	योग	0	45000	45000	0	45000

2016-17

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	14वां वित्त आयोग	0	317000	317000	249766	67234
2	स्वच्छ भारत मिशन	45000	90000	135000	0	135000
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
	योग	**45000**	**407000**	**452000**	**249766**	**202234**

2017-18

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	14वां वित्त आयोग	67234	15166000	15233234	1033232	14200002
2	स्वच्छ भारत मिशन	135000	80000	215000	134685	80315
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
	योग	**202234**	**15246000**	**15448234**	**1167917**	**14280317**

2018-19

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	14वां वित्त आयोग	14200002	29387000	43587002	34398131	8910972
2	स्वच्छ भारत मिशन	80315	50000	130315	0	130315
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	100000	100000	0	100000
4	SCP	0	3805000	3805000	1642818	2162182
	योग	**14280317**	**33342000**	**47622317**	**36040949**	**11303469**

2019-20

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	14वां वित्त आयोग	8910972	28718000	37628972	30282727	7346245
2	स्वच्छ भारत मिशन	130315	1724000	1854315	1349559	504756
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	100000	0	100000	0	100000
4	SCP	3805000	998000	4803000	2519212	2283788
5	MPLAD	0	1195975	1195975	0	1195975
6	NULM	0	30000	30000	299	29701
	योग	**12946287**	**32665975**	**45612262**	**34151797**	**11460465**

भाग दो (अ)

प्रस्तर 01: सफाई व्यवस्था में सम्बद्ध फर्म को भुगतान करते समय मय अर्थदण्ड धनराशि ₹ 3,21,962 के स्त्रोत पर आयकर कटौती न किया जाना।

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII की धारा 194 सी के अनुसार ठेकेदार अथवा किसी व्यक्ति के बीच किसी संविदा के अनुसरण में कोई कार्य जिसमें श्रम आपूर्ति भी सम्मिलित हो, के लिए फर्म/ठेकेदार को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी किसी ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में नकद, चेक या अन्य किसी रीति से संदाय करते समय अधिनियम के उपरोक्त उपबन्धों के तहत 02 *प्रतिशत* की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा। ऐसी कटौती वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदाय की जाने वाली संभावित राशियों की कुल धनराशि यदि एक लाख से अधिक हो जाती है वहाॅ ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी इस धारा के अधीन आयकर की कटौती करने के लिए दायी होगा। अधिनियम की धारा 271 सी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत किसी कर या कर के भाग की कटौती करने में विफल रहता है तो वह व्यक्ति दण्ड के रुप में कटौती करने में विफल रहे अथवा कटौती न किये गये कर की धनराशि के बराबर भुगतान करने के लिए दायी होगा।

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सफाई व्यवस्था, सामग्री क्रय एवं कार्यालयीय कार्यो के लिए कोटेशन/निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता फर्म से विभिन्न कार्मिकों की आपूर्ति प्राप्त की गयी थी। सम्बन्धित फर्मो को भुगतान की गयी देयकों की जाॅच में पाया गया कि भुगतान करते समय देयकों से आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने के लिए स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की गयी थी। इस प्रकार से इकाई द्वारा 10 देयकों के सापेक्ष सम्बन्धित फर्म को भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उलंघन करते हुए देयको से 2 प्रतिशत की दर से आयकर की धनराशि ₹ 1,60,981 की कटौती नहीं की गयी थी **(विवरण संलग्न)**। अतः अधिनियम की धारा 271 सी के प्रावधानों के अनुसार जिम्मेदार प्राधिकारी कटौती न की गयी धनराशि के बराबर अर्थात धनराशि ₹ 1,60,981 अर्थदण्ड के रुप में शासन को भुगतान करने के लिए दायी होगा। इस प्रकार से देयकों का भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर की कटौती न की गयी धनराशि तथा अर्थदण्ड के रुप में उक्त धनराशि के बराबर धनराशि अर्थात कुल धनराशि ₹ 3,21,962 का भुगतान शासन के आयकर मद में किया जाना लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि तत्समय जानकारी के अभाव में सन्दर्भित देयकों से आयकर की कटौती नहीं की जा सकी। आगे यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में सभी भुगतानों से नियमानुसार आयकर की कटौती की जाएगी।

अतः सफाई व्यवस्था में सम्बद्ध फर्म को भुगतान करते समय मय अर्थदण्ड धनराशि ₹ 3,21,962 के स्त्रोत पर आयकर कटौती न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर के अन्तर्गत देयको से आयकर स्रोत कटौती न किये जाने समबन्धी विवरण।

क्रम सं.	**फर्म का नाम**	**देयक का माह**	**भुगतान का दिनांक**	**भुगतानित कुल धनराशि (₹ में)**	**सम्मिलित आयकर की 2% धनराशि**
1	यूनिक सर्विसेज	04/2017 to 06/2017	11.12.2017	183000	4209
2	यूनिक सर्विसेज	07/2017 to 10/2017	26.02.2018	287920	5612
3	यूनिक सर्विसेज	11/2017 to 02/2018	17.03.2018	858760	5612
4	यूनिक सर्विसेज	03/2018	22.05.2018	392395	1403
5	सिद्धि एसोसिएट	12/2017	26.02.2018	201880	3935
6	सिद्धि एसोसिएट	03/2018	22.05.2018	319425	6226
7	सिद्धि एसोसिएट	04/2018 to 06/2018	03.07.2018	406775	8135
8	सिद्धि एसोसिएट	04/2018 to 05/2018	08.08.2018	897398	17948
9	सिद्धि एसोसिएट	06/2018 to 10/2018	05.01.2019	3163567	63271
10	सिद्धि एसोसिएट	01/2019 to 04/2019	07.01.2019	2231492	44630
	कुल योग			**89,42,612**	**1,60,981**

भाग दो (अ)

प्रस्तर 02: सफाई व्यवस्था से सम्बद्ध फर्म को बिना किसी कारण के धनराशि ₹ 5.99 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

नगर पालिका परिक्षेत्र में वर्ष 2017-18 हेतु सफाई व्यवस्था सुचारु रखने के लिए 06 श्रमिक को मय रिक्शा, रेहडी, झाडू, फावडे एवं अन्य सफाई उपकरणों सहित उपलब्ध कराने के लिए कार्यालय द्वारा दिनांक 11 अपैल 2017 को कोटेशन आमंत्रित की गयी थी। जिसमें कुल 03 फर्मो द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा तुलनपत्र के अनुसार न्यूनतम प्राप्त दर के आधार पर यूनिक सर्विसेज, हरिद्वार का चयन धनराशि ₹ 61,000/- मासिक दर पर किया गया। सेवा प्रदाता फर्म के साथ अनुबन्ध गठित कर दिनांक 15 अप्रैल 2017 को उसी दिन से पालिका सीमान्तर्गत सफाई व्यवस्था का कार्य अनुबन्ध में की गयी शर्तो के अनुसार प्रारम्भ करने के लिए कार्यादेश जारी किया गया था।

भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि सेवा प्रदाता फर्म द्वारा माह अप्रैल, मई एवं जून 2017 के लिए भुगतान हेतु धनराशि ₹ 1,83,000/- का देयक प्रस्तुत किया गया जिसमें तीनों माहो के लिए धनराशि ₹ 61,000/- मासिक पूर्ण दर आरोपित की गयी थी जबकि अप्रैल माह में दिनांक 15 अप्रैल से कार्य आरम्भ किया गया था। जिसका कार्यालय द्वारा दिनांक 11.12.2017 को बिना किसी समायोजन के भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार से सेवा प्रदाता फर्म को बिना कोई कार्य किये 14 दिनों के लिए धनराशि ₹ 28,467/- का अधिक भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त उक्त सेवा प्रदाता फर्म यूनिक सर्विसेज द्वारा माह नवम्बर 2017 से फरवरी 2018 तक कुल 04 माह के लिए मय जी.एस.टी. कुल धनराशि ₹ 2,87,920/- के देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये। जिसके भुगतान के लिए राज्य वित्त अनुदान के अन्तर्गत दिनांक 19.03.2018 को प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उसी दिन कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से अनुमोदित धनराशि ₹ 2,87,920/- के सापेक्ष धनराशि रु0 8,58,760 का भुगतान किया गया। इस प्रकार से उक्त देयक के सापेक्ष धनराशि ₹ 5,70,840/- का अधिक भुगतान किया गया। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में इकाई द्वारा सेवा प्रदाता फर्म को धनराशि रु0 5,99,307 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि इस प्रकरण की पुनः जॉच की जाएगी, तद्उपरान्त सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही की जाएगी तथा कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः सफाई व्यवस्था से सम्बद्ध फर्म को बिना किसी कारण के धनराशि ₹ 5.99 लाख का अधिक भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर 03: निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती तथा जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास की कटौती नहीं किए जाने के कारण कुल धनराशि ₹ 666016/- के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए ।

उक्त के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांकित 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12 जनवरी 2015 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी। उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 *प्रतिशत* अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।

कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार के केन्द्रीय वित्त योजना, राज्य वित्त योजना, अवस्थापना विकास निधि आदि निर्माण संबंधी लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक में लिखित **17** निर्माण कार्यों में प्रयुक्त नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री के स्वामित्व (रॉयल्टी) **₹ 532813/-** की धनराशि की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखाशीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से रॉयल्टी की कोई भी कटौती नहीं की गयी हैं। साथ ही उक्त रॉयल्टी की धनराशि के सापेक्ष जिला खनिज फाउंडेशन न्यास **₹ 133203/-** की धनराशि भी काटी नहीं गयी है। अतः (**कुल ₹ 666016/-**) की धनराशि नहीं काटी गयी थी।

उक्त रॉयल्टी की कटौती के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि जानकारी के अभाव में निर्माण सामग्री के स्वामित्व (रॉयल्टी) एवं जिला खनिज फाउंडेशन न्यास को रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई। भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती तथा जिला खनिज फ़ाउंडेशन न्यास की कटौती नहीं किए जाने के कारण कुल धनराशि ₹ 666016/- के राजस्व की हानि से संबन्धित प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान विभिन्न मदों से कराए गए निर्माण कार्यों के भुगतान स्वरूप रोयल्टी की कटौती एवं जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की कटौती न किये जाने का विवरणः

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	निर्माण कार्य का नाम	इकाई द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रयुक्त किए गए उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में)	रॉयल्टी कटौती की दर (प्रति घन मीटर में)	कार्य के सापेक्ष रॉयल्टी की कुल धनराशि (` में)	रॉयल्टी की धनराशि के सापेक्ष जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को देय 25 प्रतिशत की धनराशि
01	2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	सुभाषनगर गली नं सी 04 में मेन रोड से सोम निवास तक सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य	49.10	154	7561	1890.25
02	2017-18	अवस्थापना निधि	शिवालिक नगर में कलस्टर आर 255 से क्यू 291 तक नाले पर आर.सी.सी. स्लैब डालने का कार्य	183.27	154	28224	7056
03	-	अनु. जनजाति उपयोजना	ग्राम महदूद मुल्कीपुरा में जन्म सिंह के घर से बल्लू के घर की ओर सी.सी.सड़क निर्माण	383.02	154	58986	14746.5
04	2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	सुभाषनगर गली नं 10 में कुलदीप के मकान के पास नाली का निर्माण कार्य व बी 11 में शुभम स्वीटस के पास पुलिया का मरम्मत कार्य	43.61	154	6654	1663.5
05	2018-19	अवस्थापना निधि	टिहरी विस्थापित ब्लॉक एफ में मेन रोड से सीताराम के मकान तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	123.35	154	18996	4749
06	2017-18	राज्य वित्त योजना	कार्यालय उत्तर पूर्व में वाहन सफाई उपकरणों हेतु टीन शेड स्टोर का निर्माण	111.71	154	17203	4300.75
07	-	अनु. जनजाति उपयोजना	ग्राम रावली महमूद रोशनपूरी में विशाल के घर से विकास के घर की ओर सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	335.93	154	51734	12933.5
08	2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	सुभाषनगर गली नं डी 10 में नन्द किशोर के मकान से रूयात सिंह के मकान तक सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य	36.95	154	5690	1422.5
09	2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	सुभाषनगर गली नं बी 6 में मेन रोड के नाले से बैरियर तक नाली का निर्माण कार्य	138.79	154	21374	5343.5
10	2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	शिवालिक नगर में आर 249 से आर 254 तक आर सी.सी. नाला निर्माण कार्य	351.42	154	54119	13529.75
			कुल	**1757.15**		**270541**	**67635.25**
						कुल योग	**338176**

नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो के भुगतानों से रायल्टी की कटौती न किये जाने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	व्यय धनराशि	प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में)				रायल्टी कटौती की दर	रायल्टी की धनराशि
				बालू/ मिट्टी	पत्थर	मोरम	कुल योग		
1	2019-20	ग्राम रावली महमूद रोशनपुरी में विशाल के घर से विकास के घर की ओर सी0सी0 सडक/नाली निर्माण	707969	102.50	159.99	75.44	337.93	154	51734
2	2019-20	शिवालिक नगर में आर 255 से आर 280 तक आर.सी.सी. नाला निर्माण	405345	77.92	154.70	118.80	351.42	154	54119
3	2019-20	शिवालिक नगर में आर 249 से आर 254 तक आर.सी.सी. नाला निर्माण	390379	80.24	159.33	127.80	367.37	154	57310
4	2019-20	नेहरु नगर के सी ब्लाक मेन रोड पर मिट्टी द्वारा गढ्ढे भरने का कार्य	143798	326.20	0	0	326.20	72	23486
5	2019-20	शिवालिक नगर ए क्लस्टर में ए 11 के पास पुलिया का निर्माण कार्य	85899	3.02	6.21	0	9.23	154	1421
6	2018-19	अटल वाटिका पार्क का सौन्दर्यीकरण	920117	45.60	89.30	0	134.90	154	20775
7	2018-19	ग्राम राउली महदूद के रोशनपुरी में लाल सिंह पटवारी के मकान से ब्रम्हानन्द के मकान तक सी0सी0मार्ग निर्माण कार्य	988020	130.55	216.38	0	346.93	154	53427
								योग	**262272**
								उक्त रॉयाल्टी की धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत जिला खनिज न्यास की धनराशि	**65568**
								कुल योग	**327840**

महायोगः 338176+327840 = ₹ 666016/-

भाग दो (अ)

प्रस्तर 04: इकाई के बजट विवरण तथा बैंक खातों के अवशेषों के बीच ₹ 1,88,04,506/- का अंतर होना तथा विभिन्न लेखाभिलेखों के बीच विसंगति पाया जाना।

Cashbook, अनुदान पंजिका, चैक निर्गत पंजिका आदि किसी भी कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं। साथ ही बैलन्स शीट में वर्ष के किसी दिन कार्यालय के आय-व्यय, संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण प्रदर्शित होता है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय की कैशबुक, अनुदान पंजिका और बैलन्स शीट के data के बीच विसंगतियाँ विद्यमान थी।

1. वर्ष 2015-16 की बैलन्स शीट में अवस्थापना विकास निधि में ₹ 2908000/- व राज्य वित्त में ₹ 1595250/- प्राप्ति दिखाई गई है जबकि कैशबुक एवं अनुदान पंजिका के अनुसार ₹ 4460000/- अवस्थापन विकास निधि के रूप में प्राप्त हुए थे।
2. वर्ष 2016-17 की बैलन्स शीट के अनुसार अवस्थापना विकास निधि, स्वच्छ भारत अभियान, राज्य वित्त में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई जबकि अनुदान पंजिका के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ₹ 45000/- प्राप्त हुए थे।
3. वर्ष 2018-19 की बैलन्स शीट के अनुसार राज्य वित्त का अवशेष ₹ 90830/- है जबकि इकाई के बजट विवरण के अनुसार ₹ 190830/- है।
4. वर्ष 2019-20 में बैलन्स शीट के अनुसार राज्य वित्त, केंद्र वित्त, SCP एवं अवस्थापना निधि का अवशेष क्रमश ₹ 155571/-, 2322082/-, 500649/- एवं 7126562/- है जबकि बजट विवरण के अनुसार ₹ 20957/-, 7346245/-, 2283788/- एवं 15333862/- है। साथ ही बैलेन्स शीट के शेष व बजट विवरण के शेष में भी अंतर है। अवस्थापना व SCP के खातों का योग ₹ 8349027/- (1222465/- +7126562/-) है जबकि बैलन्स शीट के अनुसार ₹ 8127860/- है।
5. वर्ष 2019-20 का अवशेषों का योग बजट विवरण के अनुसार ₹29113966 है तथा समस्त बैंक खातों के अवशेषों का योग ₹10309460/- है। इसके कारण बैंक खातों की धनराशि **₹18804506/-** कम पायी गयी जिसके कारण वित्तीय अनिमियतता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कमियों/त्रुटियों की जांच कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि लेखाभिलेखों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया गया तथा लेखाभिलेख तैयार करते समय तथ्यों एवं आंकड़ों की शुद्दता का ध्यान नहीं रखा गया। इसके कारण वित्तीय अनिमियतता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01: उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के विपरीत कोटेशन द्वारा धनराशि ` 14.13 लाख की सामग्रियों का क्रय ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या: 129/XXVII/(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 पारित किया गया था। उक्त नियमावली के बिन्दु संख्या 3 (10 एवं 11) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य क्रय करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किए जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर अधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किए जाएगा। एकरूपता बनाए रखना तथा कार्य की पुनरावृति और संभावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए।

कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार के क्रय से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान ` 20,43,648/- की धनराशि से Farmtrac Tractor 6055, LED स्ट्रीट लाइट एवं अन्य सामग्री का क्रय छोटे-छोटे टुकड़ों में कोटेशन के द्वारा किया गया था जो कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत था। उक्त सामग्रियों का क्रय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार निविदा प्रक्रिया को अपनाकर किया जाना चाहिए था परंतु अधिशासी अधिकारी, द्वारा Farmtrac Tractor 6055, LED स्ट्रीट लाइट एवं अन्य सामग्री का क्रय छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर कोटेशन द्वारा किया गया था। उक्त कोटेशन के आधार पर क्रय किए गए सामग्रियों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	क्रय किए गए सामाग्री का नाम	फर्म का नाम	क्रय किए गए सामाग्री की कुल धनराशि
01	30 & 45 W एलईडी स्ट्रीट लाइट	पांडे एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार। दिनांक: 06.03.2018	165491
02	45 W एलईडी स्ट्रीट लाइट	पांडे एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार। दिनांक: 12.04.2018	249406
03	45 W एलईडी स्ट्रीट लाइट & 6 MM केबल	पांडे एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार। दिनांक: 09.05.2018	249406
04	45 W एलईडी स्ट्रीट लाइट & 6 MM केबल	पांडे एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार। दिनांक: 12.05.2018	249406
05	45 W एलईडी स्ट्रीट लाइट & 6 MM केबल	पांडे एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार। दिनांक: 15.07.2018	249406
0	45 W एलईडी स्ट्रीट लाइट & 6 MM केबल	पांडे एलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार। दिनांक: 12.07.2018	249406
		कुल धनराशि	**14,12,521/-**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया की उक्त सामग्रियों का क्रय कोटेशन के द्वारा जानकारी के अभाव में किया गया था, भविष्य में क्रय संबंधी व्यवहार में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के विपरीत कोटेशन द्वारा धनराशि ` 20.44 लाख की सामग्रियों का क्रय किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 02: पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि।

उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू.प्रौ./2018 दिनांक 26.11.2018 के माध्यम से Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रान्तार्गत Optical Fibre Cable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाईसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, " Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one-time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District Collector, which shall be revised in every 5(five) years. Provided, that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed Rs. 10,000 per month.

Further, an amount of ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure providers as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the licensees shall pay ₹ 5000/- (Rupees Five thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office."

कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा एक मोबाईल ऑपरेटरो से **'one time' permission fee' आदि** प्राप्त नहीं की जा रही थी। वर्तमान में पालिका क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं है और न ही इकाई द्वारा मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया है। अतः लेखापरीक्षा दल द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान यह आकंलन नही किया जा सका कि कितनी धनराशि की हानि हुई।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर उत्तर दिया गया कि इस संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अतः इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में कुल मोबाईल टॉवरों की संख्या ज्ञात करने और उनसे वसूली हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया जिससे संभावित राजस्व की हानि होने से इंकार नही किया जा सकता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 03: क्रय किए गए विभिन्न सामग्रियों के भुगतान की धनराशि में से दो *प्रतिशत* स्रोत पर कर (GST TDS) की कुल धनराशि ₹ 106120/- की कटौती नहीं करना।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-51 के प्राविधान दिनांक 01.10.2018 से लागू होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्रांक संख्या 192/XXVII(6)/एक/398/2006/18 दिनांक 12.10.2018 के माध्यम से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर की नवीन प्रणाली में स्रोत पर कर की कटौती एवं भुगतान के सम्बंध दिनांक 01.10.2018 से राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनाये जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्देशित किया गया था। माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में किसी संविदा के अधीन सप्लायर (Supplier) को दिये गये ₹ 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2 *प्रतिशत* (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी।

कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत क्रय किए गए विभिन्न सामग्रियों से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पालिका द्वारा निम्नलिखित बिलों के भुगतानों से नियमानुसार **दो *प्रतिशत* स्रोत पर कर (GST TDS)** की कटौती नहीं की गई थी:

क्रम संख्या	क्रय किए गए सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिनसे वाहन क्रय किया गया था	बिल संख्या व दिनांक	भुगतनित धनराशि	02 *प्रतिशत* GST TDS (जो की काटी जानी चाहिए थी)
01	SS डस्ट्बिन Twin	M/s Middas Green Tech, हरिद्वार	PL6500807701201068 Dt. 01/01/2020	852600	17052
02	SS डस्ट्बिन Twin	M/s Middas Green Tech, हरिद्वार	PL6500807701201071 Dt. 01/01/2020	1364160	27283
03	मैलथियन , नुवान इत्यादि	M/s Middas Green Tech, हरिद्वार	PL6500807701201012 Dt. 18/06/2020	853945	17089
04	ब्लीचिंग पाउडर, ग्लब्स इत्यादि	M/s Middas Green Tech, हरिद्वार	PL6500807701201013 Dt. 18/06/2020	483941	9679
05	गम बूट, मास्क इत्यादि	M/s Middas Green Tech, हरिद्वार	PL6500807701201014 Dt. 18/06/2020	724188	14484
06	फोगिंग एवं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव	M/s सनी कृपा	PL6500807708191033 Dt. 21/08/2019	328574	6571
07	टाटा जिओनी पर हयड्रोलिक लिफ्ट फिटिंग	M/s हरी निर्माण एजन्सि, हरिद्वार	PL6500807710180003 Dt. 25/10/2018	698088	13962
			कुल धनराशि	**5305496**	**106120**

इस प्रकार इकाई द्वारा विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु किए गए कुल भुगतानों ₹ 5305496/- की धनराशि से नियमानुसार दो *प्रतिशत* की दर से कुल ₹ 106120/- स्रोत पर कर (GST TDS) की कटौती नहीं की गई थी। नियमानुसार स्रोत पर कर (GST TDS) की कटौती नहीं करने के कारण राजकोष में ₹ 106120/- की धनराशि की हानि हुई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया की जानकारी के अभाव में 2 *प्रतिशत* स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई, भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः इकाई द्वारा क्रय किए गए विभिन्न सामग्रियों के भुगतान की धनराशि में से दो *प्रतिशत* स्रोत पर कर (GST TDS) की कुल धनराशि ₹ 106120/- की कटौती नहीं किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 04: अनुबंधों में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क न लिए जाने से ₹ 26940 की राजस्व वसूली न होना।

भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवं अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल संपति को स्थानांतरण आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी है ताकि शासकीय आय में वृद्धि हो सके। नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के सम्बंध में अपर महानिरीक्षक निबंधक उत्तराखंड, देहारादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म0नि0नि0/2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ठेकों पर ठेकों कि सम्पूर्ण राशि के 2% कि दर से स्टाम्प शुल्क कि वसूली कि जानी चाहिए। इसी सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबंध स्टाम्प कि धारा (2) (16) के अंतर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 कि धारा -17 के अनुसार अचल संपति से संबन्धित सभी ठेकों का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम के अनुक्रम में उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-9 के पत्रांक संख्या 69/2017/XXVII(9)/स्टाम्प-54/2010 दिनांकित 08 अगस्त 2017 के द्वारा सभी विभागों को अनिवार्य रूप से ठेकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आदेश जारी किये थे। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अधिकारी उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिथिलता का प्रदर्शन करेगा तो शासकीय राजस्व की हानि के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही कि जायेगी।

नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई थी और न ही इन ठेकों का रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया था।

वर्ष	ठेके का विवरण	ठेके की धनराशि ₹	स्टाम्प शुल्क ₹	रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹
2015-16	श्री सत्यपाल	106500	2130	2130
2016-17	श्री एसपी associates	160000	3200	3200
2017-18	श्री सुशील कुमार शर्मा	200000	4000	4000
2019-20	श्री प्रदीप गुप्ता	207000	4140	4140
			13470	13470

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्टाम्प ड्यूटी ₹ 13470 तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में ₹ 13470, कुल ₹ 26940 की राजस्व की हानि हुई है। इसके साथ ही पालिका द्वारा वर्ष 2018-19 की तहबाज़ारी की पत्रावली लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी जिससे उस वर्ष के देय स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना नहीं की जा सकी।

इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर उत्तर दिया गया कि संबन्धित को नोटिस जारी करने की कार्यवाही गतिमान है तथा वर्ष 2018-19 की पत्रावली आगामी लेखापरीक्षा में उपलब्ध कर दी जाएगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 05: अवस्थापना विकास मद में कार्यो की अवशेष, ब्याज एवं निर्माण न किये गये कार्यो की धनराशि ₹ 82.42 लाख विगत कई वर्षो से अवरुद्ध होना।

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से दिनांक 26.02.2019 को शासन को प्रेषित निर्माण कार्यो के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत 22 निर्माण कार्यो के निर्माण के लिए उत्तराखण्ड शासन ने शासनादेश संख्याः1003/IV(2)-श0वि0.2019 दिनांक 28 नवम्बर 2019 के माध्यम से उक्त निर्माण कार्यो के आगणनों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹ 81.74 लाख निदेशक को इस निर्देश के साथ कि सम्पूर्ण धनराशि का आहरण कर नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर को चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाय, अवमुक्त किया गया था। शासनादेश में अन्य शर्तो के साथ यह भी निर्देशित किया कि निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी। स्वीकृत कार्यो में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। निर्माण कार्य का भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मार्च 2020 के अन्त तक आवश्यक रुप से प्रस्तुत किया जाएगा।

नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर के अवस्थापना विकास निधि के अर्न्तगत स्वीकृत कार्यो एवं अवमुक्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास द्वारा शासन से स्वीकृत धनराशि का आहरण कर दिनांक 30.12.2019 को इकाई के अवस्थापना विकास निधि नाम से खोले गये बैंक खाते में जमा करा दिया गया था। धनराशि प्राप्त होने से वर्तमान तक 01 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी वर्तमान तक केवल 05 निर्माण कार्य सम्पादित किये गये थे जिस पर धनराशि ₹ 14.87 लाख का व्यय किया गया था। शेष 17 निर्माण कार्यों का निर्माण कार्य अन्य योजनान्तर्गत सम्पादित होने के कारण वर्तमान तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। संचालित बैंक खातों की जॉच में पाया गया कि उक्त अवशेष कार्य तथा योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यो की अवशेष धनराशि मय ब्याज की कुल धनराशि ₹ 81.42 लाख इकाई के बैंक खाते में अवरुद्ध पडा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान पंजिका वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की जॉच में पाया गया कि इकाई के पास योजनान्तर्गत धनराशि ₹ 99,264 कार्यो की अवशेष धनराशि के रुप में थी, परन्तु इस धनराशि को अवस्थापना विकास योजना हेतु संचालित 02 बैंक खातों में स्थानान्तरण नहीं किया गया था। इस प्रकार से इकाई के पास अवस्थापना विकास मद में मय ब्याज कुल धनराशि **₹ 82.42 लाख** (81.42+99264) बिना किसी कारण के अवरुद्ध विगत कई वर्षो से पड़ी थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 22 कार्यो में से 17 कार्य का निर्माण अन्य योजना के माध्यम से हो जाने के कारण इसका कार्य नहीं कराया जा सका। इस कार्यो के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, स्थान परिवर्तत आदेश स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य करा लिये जाएगे। पूर्व वर्षो के व्याज एवं अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया कि यथाशीध्र प्राप्ति मद में जमा कर दिया जाएगा। स्थान परिवर्तन के संबंध में इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत योजनाओं के शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख होने, कि स्वीकृत कार्यो में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय, के बावजूद भी वर्तमान तक सम्बन्धित धनराशि को इकाई द्वारा अवरुद्ध रखा गया है।

अतः अवस्थापना विकास मद में कार्यो की अवशेष, ब्याज एवं निर्माण न किये गये कार्यो की धनराशि ₹ 82.42 लाख विगत कई वर्षो से अवरुद्ध होने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 06: दिशा-निर्देशों के विपरीत विभिन्न योजनाओं से अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 4.86 लाख को सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 347/वि.आ.नि.दे. (तृ.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार के अनुसार विभिन्न श्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि (जैसेः राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, पी.एम.जी.एस.वाई, मनरेगा इत्यादि) पर अर्जित ब्याज का वर्षवार विवरण श्रोतवार उपलब्ध करवाते हुए ब्याज की धनराशि को राजकीय राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 16/xxvii (14)/2017 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के अनुसार पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है, जिस पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियां शीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए।

कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर के विभिन्न योजनाओं में अर्जित ब्याज से संबंधित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनाओं के संचालन हेतु खोले गए बैंक खातों में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान विभिन्न मदों में **₹ 4.86 लाख** की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं कराया गया था।

उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि अर्जित ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा करा दिया जाएगा।

इस प्रकार, दिशा-निर्देशों के विपरीत बैंक खातें में अर्जित ब्याज की धनराशि **₹ 4.86 लाख** को उचित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 07: विभिन्न मदों में प्राप्त ₹ 1314.96 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाना।

उत्तराखंड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवस्थापना विकास निधि एवं सांसद निधि के अंतर्गत कार्यालय नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर को निम्नलिखित धनराशि अवमुक्त किए गए थे:-

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2017-18		
1	राज्य वित्त आयोग	125.00
2	14वां वित्त आयोग	151.66
3	स्वच्छ भारत मिशन	0.80
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	0
5	अवस्थापना विकास निधि	110.75
	योग	**388.21**
वित्तीय वर्ष 2018-19		
1	राज्य वित्त आयोग	75.00
2	14वां वित्त आयोग	293.87
3	स्वच्छ भारत मिशन	0.50
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	1.00
5	अवस्थापना विकास निधि	83.26
	योग	**453.63**
वित्तीय वर्ष 2019-20		
1	राज्य वित्त आयोग	75.00
2	14वां वित्त आयोग	287.18
3	स्वच्छ भारत मिशन	17.24
4	प्रधानमंत्री आवास योजना	0
5	अवस्थापना विकास निधि	81.74
6	MPLAD	11.96
	योग	**473.12**
	कुल योग (2018-19+2019-20)	**1314.96**

कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** द्वारा प्राप्त किए गए उक्त धनराशियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान प्राप्त कुल धनराशि **₹ 1314.96 लाख** के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना लंबित था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया की उक्त धनराशियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है, तथा सभी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/शहरी निदेशालय को यथाशीघ्र प्रेषित किए जाएंगे।

इस प्रकार, विभिन्न मदों में प्राप्त **₹ 1314.96** लाख की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/शहरी निदेशालय को प्रेषित नहीं किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार के वित्तीय वर्ष 02/2014 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की सम्प्रेक्षा श्री रविन्द्र सिंह, व. लेखापरीक्षक, श्री अशोक कुमार एवं श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.03.2021 से 15.03..2021 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STAN के प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा					

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- सामान्य -

भाग-V
आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गए-

(i) वाहनों की सूची, डिपोजिट रजिस्टर, वर्ष 2017-18 की कैश बुक निर्माण कार्यो की सूची वर्ष 2017-18 के आय व्यय से सम्बन्धित बाउर्चस।

3- सतत अनियमितताएं-

(i)

4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री एलम दास	**अधिशासी अधिकारी**	01.09.2014 से 30.03.2015
(ii)	श्री राजेश पुरी	**अधिशासी अधिकारी**	31.03.2015 से 18.09.2015
(iii)	श्री शाहिद अली	**अधिशासी अधिकारी**	19.09.2015 से 28.02.2016
(iv)	गुरमीत सिंह	**अधिशासी अधिकारी**	01.03.2016 से 17.05.2017
(v)	भजन लाल आर्य	**अधिशासी अधिकारी**	18.05.2017 से 18.07.2017
(vi)	गुरमीत सिंह	**अधिशासी अधिकारी**	19.07.2017 से 15.09.2019
(vii)	बलविन्द्र सिंह	**अधिशासी अधिकारी**	16.09.2019 से वर्तमान तक

(i)	श्री के.के. मिश्र	**प्रशासक**	22.09.2014 से 19.11.2014
(ii)	श्री बीर सिंह बुद्वियाल	**प्रशासक**	20.11.2014 से 30.03.2015
(iii)	श्री मनीष कुमार सिंह	**प्रशासक**	28.09.2016 से 01.12.2018
(iv)	श्री राजीव शर्मा	**अध्यक्ष**	02.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर, जनपद-हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार, स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-II